

Soft copy

Adm (C)

प्रेषक,

एस०वी०एस० रंगा राव,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
जिलाधिकारी
कानपुर नगर
२१/८/२०२६

सामान्य प्रशासन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक १५ अगस्त, 2026

विषय : राज्य का सहायक पूर्वताधिपत्र (सब्सिडियरी वारंट ऑफ प्रिंसीडेन्स)।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सामान्य प्रशासन अनुभाग के पत्रांक-797/तीन-2013-72(1)/91, दिनांक 17 जुलाई, 2013 के क्रम में संशोधित 'राज्य के सहायक पूर्वताधिपत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(एस०वी०एस० रंगा राव)

प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव।
3. संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों/प्रशासनों को।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2. सचिव, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश. इलाहाबाद।

4. निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. समस्त कैबिनेट मंत्रियों के निजी सचिवों को मंत्री महोदय के सूचनार्थ।
2. समस्त राज्य मंत्रियों के निजी सचिवों को राज्य मंत्री महोदय के सूचनार्थ।
3. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
Digitally signed by
BRIJESH KUMAR
Date: 14-08-2026
14:24:44

(बृजेश कुमार)

उप सचिव।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 27 जुलाई, 2026

श्रावण 5, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन अनुभाग

संख्या 1/1409094/2026/तीन-2026-72(1)-91

लखनऊ, 27 जुलाई, 2026

प0आ0-448

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय-ज्ञाप संख्या 797/तीन-2013-72(1)/91, दिनांक 17 जुलाई, 2013 द्वारा निर्गत राज्य के सहायक पूर्वताधि-पत्र में आंशिक संशोधन करते हुये कोटिक्रम संख्या 16-अ में राज्य के मंत्रीगण के स्थान पर राज्य के कैबिनेट मंत्रीगण करते हुए कोटिक्रम संख्या 31 में प्रभागीय वन अधिकारी तथा सहायक पूर्वताधि-पत्र के अंत में निम्न नोट (1) व (2) को रखा जाता है:-

(1) इस वरीयता क्रम-तालिका में दिया गया क्रम केवल राजकीय और औपचारिक अवसरों (State and Ceremonial occasions) के लिए है, और इसका सरकार के रोजाना के कामकाज में कोई उपयोग नहीं है।

(2) वरीयता क्रम-तालिका में शामिल व्यक्तियों को उनके सम्बंधित अनुच्छेद (आर्टिकल) की संख्या के क्रम के अनुसार रैंक दी जाएगी। एक ही अनुच्छेद के अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है। एक ही अनुच्छेद में शामिल व्यक्तियों को, आपस में, उस अनुच्छेद में उनकी प्रविष्टि की तिथि के अनुसार वरीयता दी जाएगी।

2-उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 जुलाई, 2013 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। शेष तथ्य यथावत् रहेंगे। संशोधित राज्य के सहायक पूर्वताधि-पत्र की प्रति संलग्न है।

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,
एस0वी0एस0 रंगा राव,
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश का संशोधित सार्वजनिक पूर्वताधि-पत्र

कोटिक्रम
(1)पदनाम
(2)

4	राज्यपाल
8	मुख्यमंत्री
8-अ	उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति
16	विधान परिषद के सभापति
16-अ	विधान सभा के अध्यक्ष
17	राज्य के कैबिनेट मंत्रीगण/मा० उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण/ नेता विरोधी दल (विधान परिषद/विधान सभा)/लोकायुक्त
17अ	
19	उप सभापति, विधान परिषद, उपाध्यक्ष, विधान सभा, राज्य के राज्य-मंत्री
20	उप मंत्री, महापौर-अपने क्षेत्र में
20-अ	अध्यक्ष, जिला परिषद (अपने क्षेत्र में), अध्यक्ष, नगर पालिका (अपने क्षेत्र में)
22	संसद सदस्य
22-अ	विधान परिषद तथा विधान सभा के सदस्य
24	मुख्य सचिव
24-अ	अध्यक्ष, राजस्व परिषद
25	लेफ्टीनेन्ट जनरल अथवा सशस्त्र सेना के समकक्ष अधिकारी
26	एडवोकेट जनरल, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
28	सदस्य, राजस्व परिषद, अध्यक्ष, लोक सेवा अधिकरण, विश्वविद्यालय के कुलपति
29	राज्य सरकार के आयुक्त एवं सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, मण्डलायुक्त, उनके समकक्ष या उनसे उच्च स्तर के राज्य सरकार के विभागाध्यक्ष, भारत सरकार के समकक्ष विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य, सदस्य, न्यायिक राजस्व परिषद, स्वशासकीय राजकीय निगमों के समकक्ष मुख्य कार्य अधिकारी, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, मेजर जनरल अथवा सशस्त्र सेना के समकक्ष अधिकारी
30	राज्य सरकार के सचिव/विशेष सचिव, अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक/उप पुलिस महानिरीक्षक, अन्य विभागाध्यक्ष (जो ऊपर क्रम-संख्या 15 में सम्मिलित नहीं है) भारत सरकार के समकक्ष विभागाध्यक्ष

(1)

31

(2)

जिलाधिकारी,
जिला न्यायाधीश,
पुलिस अधीक्षक,
प्रभागीय वन अधिकारी,
मुख्य चिकित्साधिकारी।

नोट:-

(1) इस वरीयता क्रम-तालिका में दिया गया क्रम केवल राजकीय और औपचारिक अवसरों (State and Ceremonial occasions) के लिए है, और इसका सरकार के रोजाना के कामकाज में कोई उपयोग नहीं है।

(2) वरीयता क्रम-तालिका में शामिल व्यक्तियों को उनके सम्बंधित अनुच्छेद (आर्टिकल) की संख्या के क्रम के अनुसार रैंक दी जाएगी। एक ही अनुच्छेद के अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है। एक ही अनुच्छेद में शामिल व्यक्तियों को आपस में उस अनुच्छेद में उनकी प्रविष्टि की तिथि के अनुसार वरीयता दी जाएगी।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 444 राजपत्र-2020-(004)-500 प्रतियाँ (डी०टी०पी०/ऑफ़सेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 18 सा० प्रशासन-2020-(005)-200 प्रतियाँ (डी०टी०पी०/ऑफ़सेट)।